राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या 257/2009

विजय सिंह —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये, मुख्य अभियन्ता सिंचाई, राजस्थान जयपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, जोधपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 24.11.2009
आदेश की दिनांक : 20.03.2024

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री सी.पी. त्रिवेदी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

इस अपील में पूर्व में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने इस अधिकरण में यह निवेदन किया था कि उनका सम्पर्क विपक्षकार से नहीं हो पा रहा है। अपीलार्थी के अधिवक्ता के उक्त कथन पर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस जारी करने के पश्चात् अभी तक अपीलार्थी ने स्वयं इस अधिकरण के समक्ष उपस्थिति नही दी गई है। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ का कथन है कि उनको इस प्रकरण के प्रभारी अधिकारी ने यह सूचित किया है कि अपीलार्थी की मृत्यु हो चुकी है। उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए यह अपील अदम हाजरी, अदम पैरवी के आधार पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य (न्यायिक)